UPAU010044882017

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।</u>

पीठासीन अधिकारीः विकास गोस्वामी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code: UP-2393

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या 136/2017</u>

<u>कंप्यूटरीकृत विशेष सत्र परीक्षण संख्या 200136/2017</u>

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष।

प्रति

वीरू यादव पुत्र फूल सिंह यादव,

निवासी लछियामऊ, थाना दिबियापुर, जिला औरैया।

...अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या 194/2017
धारा–323 भारतीय दण्ड संहिता व
धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम।
थाना–दिबियापुर, जनपद–औरैया।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण संख्या 136/2017, मुकदमा अपराध संख्या 194/2017 में थाना दिबियापुर, जिला औरैया द्वारा अभियुक्त वीरू यादव के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अंतर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में विचारण किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार ने थाना दिबियापुर में इन तथ्यों से युक्त तहरीर दी कि प्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बैजनाथ चमार, निवासी लछियामऊ, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया का निवासी है। आज दिनांक 21.04.2017 को मेरे दाऊ के लड़के अजय उम्र करीब 20 वर्ष, जिसने विनोद कुमार, निवासी ग्राम लछियामऊ के खेत में मूंग की फसल साझेदारी में बोया है, उस फसल की रखवाली कर रहा था कि समय करीब 12.00 बजे दिन वीरू यादव पुत्र फूल सिंह, निवासी लछियामऊ की भैंस फसल नष्ट करने लगे, जब मेरे भाई ने फसल नष्ट

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.04.23 15:00:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करने का उलाहना वीरू से दिया तो उसने हाथ में लिये हुए तमन्चे की बट से सर में चोट मार दिया, जिससे मेरे भाई के चोट आई है।

3. वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना दिबियापुर, जनपद औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 194/2017 अंतर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)Vक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अभियुक्त वीरू यादव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत अभियुक्त वीरू यादव के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)Vक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विचारण हेतु प्रेषित किया गया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त वीरू यादव के उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2019 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Vक) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

अभियोजन साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका**
पी०डब्लू०–01	धर्मेन्द्र	वादी मुकदमा/तथ्य का साक्षी
पी०डब्लू०–02	डॉक्टर मो० इरफान	चुटहिल अजय की चोटों का परीक्षणकर्ता/ चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०–03	अजय कुमार	चुटहिल/तथ्य का साक्षी
पी०डब्लू०–04	विनोद कुमार	तथ्य का साक्षी

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं और उन्हें साक्षीगण के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है–

क्र०सं०	प्रदर्श संख्या	प्रपत्र	अनुप्रमाणित साक्षी
01	प्रदर्श क–01	तहरीर	अभियोजन साक्षी संख्या–01
02	प्रदर्श क–02	चिकित्सीय परीक्षण आख्या (अजय)	अभियोजन साक्षी संख्या–02
03	प्रदर्श क–03	जी.डी. कायमी एन.सी.आर.	औपचारिक सत्यता स्वीकृत
04	प्रदर्श क–04	प्रथम सूचना रिपोर्ट	औपचारिक सत्यता स्वीकृत
05	प्रदर्श क–05	नक्शा–नजरी घटनास्थल	औपचारिक सत्यता स्वीकृत
06	प्रदर्श क–06	आरोप पत्र	औपचारिक सत्यता स्वीकृत

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कहा है कि रंजिशन के कारण यह मुकदमा चला। यह निर्दोष हैं। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

8. अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–01 धर्मेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि तहरीर 5 क को देखकर कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। यह विनोद कुमार द्वारा लिखी गई थी, मैं अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–01 डाला गया। मेरे परिवार के दाऊ का लड़का अजय है। दिनांक 21.04.2017 को अजय के साथ वीरू यादव ने समय करीब 12.00 बजे दिन खेत में भैस चली जाने के बाबत उल्हाना देने पर मारपीट किया हो, मुझे जानकारी नहीं है। मैं उस समय घर पर था। मैं मारपीट करते समय खेतों पर नहीं गया था।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–02 डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है किन दिनांक 21.04.2017 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दिबियापुर में चिकित्साधिकारी पद पर तैनात था। उस दिन मजरूब अजय पुत्र स्व० कनौजी लाल जाटव, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी लछियामऊ, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया को सी./सी. 554 विजय कुमार, थाना दिबियापुर मेरे पास डॉक्टरी परीक्षण हेतु लेकर आया था। मैंने मजरूब का पहचान का चिह्न अंकित कर बांए हाथ का निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित किया था। 04.50 पी.एम. पर उसका डॉक्टरी परीक्षण प्रारम्भ किया था। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई थी–

1. फटा हुआ घाव 2.5 सेमीX0.5 सेमी फोर हेड के दाहिनी तरफ दाहिनी भौं से 6 सेमी ऊपर मौजूद था, खून बह रहा था।

2. पीठ पर दाहिनी तरफ दर्द की शिकायत बताई थी। कोई बाहरी चोट मौजूद नहीं थी।

मजरूब के शरीर पर आई चोट साधारण थी, जो किसी हार्ज एण्ड ब्लन्ट ऑब्जेक्ट से पहुँचाई गई थी। चोटें ताजी थी। मैंने मजरूब का डॉक्टरी करते समय रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जो पत्रावली में कागज संख्या–5 क है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। मजरूब के शरीर पर आई चोट दिनांक 21.04.2017 को 12.00 बजे दिन में तमंचे की बट से आना संभव है। विवेचक ने मुझसे पूछताँछ कर मेरे बयान लिये थे।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–03 अजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि मैंने अपने गाँव के विनोद कुमार का खेत बंटाई पर ले रखा था, जिसमें मूंग की फसल बोई थी। दिनांक 21.04.2017 को दिन के 12.00 बजे मैं खेतों पर काम कर रहा था। उसी समय कुछ लोग अपने भैंस चराते हुए आए और उनकी भैंसे मेरे खेत में घुस गई। मूंग की फसल को नुकसान करने

लगे। मैंने उनसे मना किया तो वह लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर दी व साले चमरे कहकर गाली-गलौज करने लगे। विनोद व धर्मेन्द्र कुमार के आ जाने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते चले गये। मैंने विनोद कुमार से एक प्रार्थना लिखवाकर चचेरे भाई धर्मेन्द्र कुमार के साथ थाना दिबियापुर गये थे। जहाँ धर्मेन्द्र ने मुकदमा लिखाया था। अभियुक्त वीरू यादव मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की, न इन्होने कोई घटना की थी।

11. अभियोजन साक्षी संख्या-04 विनोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि दिनांक 21.04.2017 को दिन के 12.00 बजे मैं अपने घर पर था। मेरा एक खेत गाँव के पास है, जिसको मैंने अजय को बंटाई पर दे रखा है, जिसमें मूँग की फसल बोई गई थी। वीरू यादव ने मेरे खेत मे अपने जानवर चरने के लिए नहीं छोड़े थे, न मेरे सामने वीरू यादव ने अजय कुमार की मारपीट की, न गाली-गलौज की, न ही साले चमरे कहकर अपमानित किया था। मैंने ऐसी कोई घटना होते हुए नहीं देखी थी।

निष्कर्ष

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त वीरू यादव पर यह आरोप है कि दिनांक 21.04.2017 समय 12.00 बजे, स्थान ग्राम लछियामऊ, थाना दिबियापुर, जिला औरैया में अभियुक्त ने यह जानते हुए कि वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार के दाऊ का लड़का अजय अनुसूचित जाति का सदस्य है, उसको तमंचे की बट से सिर में चोट पहुँचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

13. प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक को उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

14. विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.04.2017 को समय करीब 12.00 बजे दिन में अभियुक्त वीरू यादव की भैंस पीड़ित/मजरूब अजय के द्वारा साझेदारी में बोई हुई फसल नष्ट करने लगी, जब अजय ने फसल नष्ट करने का उलाहना अभियुक्त वीरू को दिया तो अभियुक्त वीरू ने हाथ में लिये हुए तमन्चे की बट अजय के सिर में मार दिया, जिससे अजय के चोट आई है। प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा अपने बयानों में तहरीर प्रदर्श क-01 को साबित किय गया है तथा उक्त घटना में पीड़ित अजय को चोटें आईं। चिकित्सक साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या-02 डॉ० मोहम्मद इरफान द्वारा चुटहिल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रमाणित किया गया है, जिसमें चुटहिल अजय को चोटें होना दर्शित है। बचाव पक्ष द्वारा अन्य सभी अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रकरण अत्यन्त मिथ्या है व अभियोजन के तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है एवं साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं। चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से एवं चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा

वादी मुकदमा के साथ मारपीट किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है, उसे दोषमुक्त किया जाये।

16. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना वाद युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित करना होता है। उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय को अब मात्र यह देखना है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे साबित कर पाया है या नहीं?

17. अभियुक्त वीरू के विरुद्ध विरचित उपरोक्त आरोपों के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के साक्षीगण के बयानों का विश्लेषण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा, धर्मेन्द्र कुमार को साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत मामले की तहरीर कागज संख्या–5 क पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–01 के रूप में प्रमाणित किया है और बताया है कि यह तहरीर विनोद द्वारा लिखी गई थी, परंतु साक्षी संख्या–01 धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा यह कथन किया गया है कि "**दिनांक 21.04.2017 को अजय के साथ वीरू यादव ने समय करीब 12.00 बजे दिन खेत में भैस चली जाने के बाबत उलाहना देने पर मारपीट किया हो, मुझे जानकारी नहीं है। मैं उस समय घर पर था। मैं मारपीट करते समय खेतों पर नहीं गया था।"** इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें साक्षी संख्या–01 धर्मेन्द्र कुमार ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० का खण्डन किया है तथा दरोगा जी को ऐसा कोई बयान दिये जाने से इंकार किया है। बचाव पक्ष द्वारी की गई प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार ने यह कथन किया है कि "**यह तहरीर मैंने नहीं लिखी और न ही मेरे सामने लिखी गई। मेरे सामने हाजिर अदालत अभियुक्त वीरू यादव ने अजय को न तो गालियां दी और न ही जातिसूचक गालियाँ दी और न ही कोई मारपीट की। मैं घटनास्थल पर कभी नहीं गया।"** अतः साक्षी संख्या–01 वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार ने अपने संपूर्ण बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही कोई ऐसा कथन किया है, जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त होता हो।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी कथित घटना के चुटहिल अजय कुमार को साक्षी संख्या–03 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–03 अजय कुमार ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन

नहीं किया है तथा यह कथन किया है कि "दिनांक 21.04.2017 को दिन के 12.00 बजे मैं खेतों पर काम कर रहा था। उसी समय कुछ लोग अपने भैंस चराते हुए आए और उनकी भैंसे मेरे खेत में घुस गई। मूंग की फसल को नुकसान करने लगे। मैंने उनसे मना किया तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर दी व साले चमरे कहकर गाली–गलौज करने लगे। विनोद व धर्मेन्द्र कुमार के आ जाने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते चले गये। मैंने विनोद कुमार से एक प्रार्थना लिखवाकर चचेरे भाई धर्मेन्द्र कुमार के साथ थाना दिबियापुर गये थे। जहाँ धर्मेन्द्र ने मुकदमा लिखाया था। **अभियुक्त वीरू यादव मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की, न इन्होने कोई घटना की थी।"** इस प्रकार साक्षी संख्या–03 अजय कुमार, जो कि कथित घटना में चुटहिल है, ने अपनी उपरोक्त मुख्य परीक्षा में अभियुक्त वीरू द्वारा उसके साथ मारपीट या कोई घटना कारित करने से इंकार किया है तथा कथित घटना कुछ लोगों द्वारा कारित करना बताया है। साक्षी संख्या–03 अजय कुमार को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें साक्षी संख्या–03 अजय कुमार ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों को सुनकर उनका खण्डन किया और बताया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। साक्षी संख्या–03 अजय कुमार ने बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी यह कथन किया है कि "**अभियुक्त वीरू यादव ने मेरी कोई मारपीट नहीं की, न जातिसूचक गालियाँ दी थी। मैंने सी.ओ. साहब को कोई बयान नहीं दिया, न घटनास्थल पर जाकर नक्शा–बनवाया।"** अतः साक्षी संख्या–03 चुटहिल अजय कुमार ने भी अपने संपूर्ण बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही कोई ऐसा कथन किया है, जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त होता हो।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के एक अन्य साक्षी विनोद कुमार को साक्षी संख्या–04 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–04 विनोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा यह बयान दिया है कि "**दिनांक 21.04.2017 को दिन के 12.00 बजे मैं अपने घर पर था। मेरा एक खेत गाँव के पास है, जिसको मैंने अजय को बंटाई पर दे रखा है, जिसमें मूँग की फसल बोई गई थी। वीरू यादव ने मेरे खेत मे अपने जानवर चरने के लिए नहीं छोड़े थे, न मेरे सामने वीरू यादव ने अजय कुमार की मारपीट की, न गाली–गलौज की, न ही साले चमरे कहकर अपमानित किया था। मैंने ऐसी कोई घटना होते हुए नहीं देखी थी।"** अभियोजन साक्षी संख्या–04 विनोद कुमार को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें साक्षी संख्या–04 विनोद कुमार ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० का खण्डन किया है तथा यह कथन भी किया कि तहरीर प्रदर्श क–01 धर्मेन्द्र के बोलने पर लिख दी थी, उसने स्वयं कोई घटना नहीं देखी थी। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी संख्या–04 विनोद कुमार ने यह कथन किया है कि "**मैंने मारपीट होते नहीं देखा था, न ही गाली–गलौज, जातिसूचक गाली–गलौज करते सुना। मुझसे सी.ओ. साबह**

ने कोई बयान नहीं लिया।" अतः अभियोजन साक्षी संख्या–04 विनोद कुमार के संपूर्ण बयानों से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 विनोद कुमार ने भी अपने संपूर्ण बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त होता हो।

20. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अपने कथनों में अभियुक्त द्वारा चुटहिल अजय कुमार की मारपीट कर साधारण स्वेच्छा उपहति कारित करने संबंधी तथ्यों को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य इस स्तर के विश्वसनीय नहीं हैं, जिनके आधार पर अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित होता हो।

21. यद्यपि अभियोजन की ओर से चुटहिल अजय कुमार के चिकित्सीय परीक्षण आख्या के संबंध में परीक्षित चिकित्सक साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या–02 डॉक्टर मो० इरफान ने अपनी मुख्य परीक्षा में मजरूब अजय कुमार के चोट प्रपत्र के संबंध में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 21.04.2017 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दिबियापुर में चिकित्साधिकारी पद पर तैनात थे। उस दिन मजरूब अजय पुत्र स्व० कनौजी लाल जाटव, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी लछियामऊ, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया को सी./सी. 554 विजय कुमार, थाना दिबियापुर मेरे पास डॉक्टरी परीक्षण हेतु लेकर आया था। उन्होने मजरूब का पहचान का चिह्न अंकित कर बांए हाथ का निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित किया था। 04.50 पी.एम. पर उसका डॉक्टरी परीक्षण प्रारम्भ किया था। मजरूब के शरीर पर दो चोटें पाई थी। उन्होने मजरूब का डॉक्टरी करते समय रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जो पत्रावली में कागज संख्या–5 क है, उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी साक्षी संख्या–02 डॉक्टर मो० इरफान द्वारा पहचान की गई, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। मजरूब के शरीर पर आई चोट दिनांक 21.04.2017 को 12.00 बजे दिन में तमंचे की बट से आना संभव है।

22. इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–02 ने अपनी साक्ष्य के द्वारा कथित घटना के चुटहिल अजय कुमार के चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–02 को प्रमाणित किया है, परंतु साक्षी संख्या 02 के उपरोक्त बयानों से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि चुटहिल अजय कुमार को आई चोटें अभियुक्त वीरू यादव के द्वारा पहुँचाई गई हों, क्योंकि अभियोजन की ओर से परीक्षित चुटहिल अजय एवं तथ्य के किसी अन्य साक्षीगण द्वारा इस तथ्य को साबित नहीं किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त वीरू यादव द्वारा चुटहिल अजय के साथ मारपीट की गई है।

23. प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर संलग्न जी.डी. कायमी की कार्बन प्रति कागज संख्या–7 क, प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या–4 क, नक्शा–नजरी कागज संख्या–10 क एवं आरोप पत्र कागज संख्या–3 क की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया,

जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–03, 04, 05 व 06 डाला गया, परंतु चूंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षीगण अभियोजन साक्षी संख्या–01, 02 व 04 के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक व अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में मात्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर संलग्न जी.डी. कायमी की कार्बन प्रति कागज संख्या–7 क, प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या–4 क, नक्शा–नजरी कागज संख्या–10 क एवं आरोप पत्र कागज संख्या–3 क की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किये जाने के आधार पर अभियुक्त वीरू यादव के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम संदेह से परे साबित होना नहीं माने जा सके।

24. अभियोजन की ओर से तथ्य का या अन्यथा कोई साक्षी इस प्रकृति का परीक्षित नहीं हुआ है, जिससे किसी प्रकार अभियोग कथानक प्रमाणित होता हो। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोग कथानक की पुष्टि नहीं करती है।

25. अभियोजन का यह दायित्व है कि वह सम्पूर्ण अभियोग कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे, जो कि अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। सम्पूर्ण अभियोग कथानक संदेहजनक एवं मिथ्या साक्ष्य पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **Amar Singh Vs. State of N.C.T. of Delhi 2020 SCC Online S.C. 826** में यह धारित किया गया है कि, जहां पर साक्ष्यों में विरोधाभास है, अभियोग कथानक में असंगत कथन किये गये हैं तथा साक्षी का आचरण सामान्य मानवीय स्वभाव से भिन्न है, वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित नहीं है।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **राजस्थान राज्य प्रति शीशपाल ए0आई0आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना वाद, अभियुक्त को दोषसिद्ध स्थापित करने के लिए, सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे प्रमाणित करना होगा, अपने वाद को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है। यह सिद्ध भार कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है।

27. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **खेमराज प्रति हिमाचल राज्य (2018) 1 एस0सी0सी0 पृष्ठ 202** में यह मत व्यक्त किया गया है कि–

"The well established canon of criminal justice is, fouler the crime higher the proof. In unmistakable terms, it is the mandate of law that the prosecution in order to suceed in a criminal trial, has to prove the criminal charge(s) beyond all

reasonable doubt. The prosecution has to be in the category of "**must be true**" **and not "may be true**." ....."

28. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Chunthuran Vs. State of Chhattisgarh AIR Online 2020 SC 799** तथा अनेकों अन्य निर्णयज विधियों में यह अवधारित किया गया है कि यह अपराध विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दो संभावनायें निकलती है, एक अभियुक्त की दोषमुक्ति का तथा दूसरा अभियुक्त की दोषसिद्धि का, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के दोषमुक्ति की संभावना बलवती होती है तथा इस संभावना का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा **Selva Raj Vs. State of Tamil Nadu (1976) 4 SCC 343** में यह धारित किया गया है कि, जहां पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से अभियोग कथानक अत्यधिक असंभाव्य सहज मानवीय स्वभाव के विपरीत एवं विरोधाभासी है, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित नहीं है।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिगम्बर वैष्णव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (एआईआर 2019 एससी 1367)** में यह अवधारित किया गया है कि

"17–In Varkey Joseph v. State of Kerala, 1993 Suppl (3) SCC 745, this Court has held that suspicion is not the substitute for proof. There is a long distance between 'may be true' and 'must be true' and the prosecution has to travel all the way to prove its case beyond reasonable doubt.

In Sujit Biswas v. State of Assam, (2013) 12 SCC 406, this Court, while examining the distinction between 'proof beyond reasonable doubt' and 'suspicion' has held as under:

"13. Suspicion, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between something that "may be" proved, and something that "will be proved". In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason that the mental distance between "may be" and "must be" is quite large, and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof. The large distance between "may be" true and "must be" true, must be covered by way of clear, cogent and unimpeachable evidence produced by the prosecution, before an accused is condemned as a convict, and the basic and golden rule must

be applied. In such cases, while keeping in mind the distance between "may be" true and "must be" true, the court must maintain the vital distance between mere conjectures and sure conclusions to be arrived at, on the touchstone of dispassionate judicial scrutiny, based upon a complete and comprehensive appreciation of all features of the case, as well as the quality and credibility of the evidence brought on record. The court must ensure, that miscarriage of justice is avoided, and if the facts and circumstances of a case so demand, then the benefit of doubt must be given to the accused, keeping in mind that a reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely probable doubt, but a fair doubt that is based upon reason and common sense".

30. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष, अभियुक्त वीरू यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)V क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त वीरू यादव, उस पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)V क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

31. वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–01 के आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने का उल्लेख किया गया था तथा न्यायालय के समक्ष वह शपथ पर सत्य बात कहने के लिए आबद्ध था, परन्तु उसने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य दिया है, जिससे उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या 136/2017, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 194/2017, पुलिस थाना दिबियापुर, जनपद औरैया में अभियुक्त वीरू यादव को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)V क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को दायित्वमुक्त किया जाता है।

3. अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त धारा 437(क) दं0 प्र0 सं0 के प्राविधान के तहत अंकन 25,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करे। उक्त बन्धपत्र व प्रतिभूपत्र छहः माह के लिए प्रभावी होंगे।

4. वाद से सम्बन्धित सभी प्रपत्र एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे तथा अपील होने पर उनका निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं अपील न होने पर नियमानुसार किया जायेगा।

5. वादी मुकदमा/अभियोजन साक्षी संख्या—01 धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अन्तर्गत पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस निर्गत किया जाये।

6. जिलाधिकारी, औरैया को निर्देशित किया जाता है कि इस मुकदमें के वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार को अथवा प्रकरण के चुटहिल अजय कुमार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई प्रतिकर सहायता धनराशि प्रदान की गयी हो तो वह नियमानुसार वसूल कर ली जाए तथा तत्संबंधी अनुपालन आख्या इस न्यायालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए।

दिनांक— 23.04.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
J.O. Code UP2393

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक— 23.04.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
J.O. Code UP2393